

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

**(1) प्रकरण संख्या 85/2024 (उदयपुर डिक्री)**

श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी श्री मांगूसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोहनसिंह पिता श्री भंवरसिंह परिहार, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगूसिंह पिता श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईसवाल,  
तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोहनसिंह पिता श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. शंकर बाई पुत्री श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

**(2) प्रकरण संख्या 89/2024 (उदयपुर डिक्री)**

श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी श्री मांगूसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोहनसिंह पिता श्री भंवरसिंह परिहार, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगूसिंह पिता श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईसवाल,  
तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोहनसिंह पिता श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. शंकर बाई पुत्री श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण



- उपस्थित :- 1. श्री हिमांशू सोलंकी अभिभाषक अपीलान्त  
2. श्री ओमप्रकाश बारबर अभिभाषक रे.सं. 1, 3

-----::-----

**(3) प्रकरण संख्या 118/2024 (उदयपुर डिक्री)**

- मांगूसिंह पिता श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
- श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी श्री मांगूसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

**बनाम**

- मोहनसिंह पिता श्री भंवरसिंह परिहार, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
- मोहनसिंह पिता श्री भंवरसिंह खरबड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

- उपस्थित :- 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्तगण  
2. श्री ओमप्रकाश बारबर अभिभाषक रे.सं. 1, 2

-----::-----

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा.काश्त.

अ. 1955 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी

बड़गांव निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री

दि० 12.04.2024 अंतिम डिक्री दि०

02.08.2024 प्रकरण सं. 64/2022

-----::-----

**निर्णय**

**दिनांक 30-06-2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ईसवाल, तहसील बड़गांव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सहखातेदारी की आराजी नंबर 158 से 161, 165, 175, 179 कुल कित्ता 7 रकबा 1.7900 हैक्टर भूमि स्थिति है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। वादी ने 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विलेख से पूर्व हितधारी किशनसिंह पिता स्वर्गीय भंवरसिंह खरबड़ से क़य कर कब्जा प्राप्त किया है। जुबानी बंटवारे अनुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से पक्षकारों के मध्य विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के आधार पर दिनांक 12-06-2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 02-08-2024 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 12-06-2024 से रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा अपील संख्या 85/2024 (प्रथम अपील) तथा अंतिम डिक्री दिनांक 02-08-2024 के विरुद्ध अपील संख्या 89/2024 (द्वितीय अपील) अपीलान्त इन्द्रा बाई ने इस न्यायालय में दिनांक 16-08-2024 को प्रस्तुत की तथा उक्त अंतिम डिक्री के विरुद्ध ही एक अन्य अपील संख्या 118/2024 (तृतीय अपील) अपीलान्त मांगसिंह व इन्द्राबाई ने दिनांक 17-10-2024 को प्रस्तुत की।

उक्त तीनों अपीलों दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

तीनों ही अपीलों अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 64/2022 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा तीनों अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने से तीनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

प्रथम व द्वितीय अपील के अपीलान्त इन्द्रा बाई द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्त/प्रार्थीया विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से की रेकार्डेड

खातेदार होते हुए भी उसे बंटवारे के वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे अपीलार्थीया के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अपीलान्त/प्रार्थीया प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्त/प्रार्थीया विवादित आराजियात की सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद में वह आवश्यक पक्षकार है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

तृतीय अपील संख्या 118/2024 विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण उसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्त को नहीं थी। हाल ही में रेपोन्डेन्ट मौके पर जे.सी.बी. लेकर आये एवं खुदाई करने लगे तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे। तार्ईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

प्रथम व द्वितीय अपील अपील के विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्त 1/4 हिस्से की रेकार्डेड खातेदार होते हुए भी उसे बंटवारे के वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, जो अपीलान्त के हक अधिकारी के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण में वादी की साक्ष्य ही नहीं ली गयी, न ही प्रतिवादी की साक्ष्य ली गयी मात्र प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी तथा तहसीलदार से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर अंतिम

डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

तृतीय अपील के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, किन्तु उनके द्वारा सम्यक पैरवी नहीं किये जाने से अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो गये। अधिवक्ता ने अपीलान्ट को पैरवी नहीं करने की कोई सूचना नहीं दी। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया है तथा अच्छी एवं बुरी भूमि का सही विभाजन नहीं किया गया है तथा मुख्य सड़क की भूमि रेस्पोंडेन्ट को दे दी गयी है, जबकि अपीलान्ट ने कोई सहमति नहीं दी है। विभाजन में मात्र वादी का हिस्सा अलग किया है। सभी काश्तकारों के हिस्से पृथक-पृथक नहीं किये हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट मौके पर मौजूद थे, किन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है तथा विभाजन सहमति के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया गया है। अतः तीनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 अनुसार अपीलान्ट इन्द्रा बाई विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से की रेकार्डेड खातेदार दर्ज, लेकिन वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जबकि विभाजन के वाद में प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करना अपील आदेशिका में अंकित किया है, किन्तु किसी भी पक्षकार के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है तथा मात्र वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि विभाजन प्रस्ताव भी मात्र वादी व

प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति में ही तैयार किया गया है तथा विभाजन में सिर्फ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि को पृथक-पृथक किया गया है, अन्य खातेदारों की भूमि शामिल रखी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12-06-2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02-08-2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्त इन्द्रा बाई को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उसे सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर तथा सभी पक्षकारों की उपस्थिति तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करने हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25-08-2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर